5.4.24

पक्षकारान आवश्यक ... चुनाव कार्य में व्यस्त हैं।
आज साहब ...चुनाव...
अतः पत्रावली इलतवा होकर आयन्दा
दिनांक 15.5.24 को पेश हो।

रीडर

15/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अवगत करवाया कि सभी की सहमति से ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है; जिन प्रार्थीगण की सहमति जताई है उन्होंने प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी प्रार्थना पत्र में किये हैं इसलिए वादी संख्या 6 और 15 द्वारा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में कहीं भी हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी से अपनी सहमति प्रकट नहीं की है अतः न्यायालय का यह मानना है कि जब सहमति प्रार्थना पत्र पेश करने में नहीं है तो तामिली का प्रश्न ही नहीं उठता है। आगे प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में उनवान मांगीलाल बनाम मोठालाल व अन्य मुकदमा नम्बर 20/2017 में दिनांक 20/8/2020 को जरिये आपसी सहमति से डिक्री कर निर्णय पारित किया है। (मद संख्या ...) किन्तु राजस्व विभाग द्वारा इसकी प... रिकॉर्ड/नक्शा ट्रेस को गलत रूप से अंकित कर दिया गया है। जिससे पक्षकारों की कब्जा काश्त की स्थिति दर्शाई भिन्न एवं अलग दर्ज हो गई है अतः निर्णय एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.20 16:03:50 IST
Reason: SelfAttested

— डिक्री दिनांक 20/8/2020 को जो निर्णय किया गया है उक्त राजस्व वाद के निर्णय / नक्शा ट्रेस में संशोधन हेतु 136 LR Act तथा 151 CPC प्रार्थना पत्र धारा 114 के तहत Review कर नक्शा ट्रेस मुताबिक प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के यदि समस्त प्रक्रम पूर्ण हो चुके हैं तो प्रार्थना पत्र को निर्णीत करने हेतु न्यायालय हाजा को निवेदन किया न्यायालय द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया गया। बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी जाकर प्रार्थना पत्र 136 LR एक्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय पक्षकारान की आपसी सहमति से पारित किया। जिसे प्रार्थीगण ने मद संख्या 2 को स्वीकार किया है। मद संख्या 2 व 3 का अध्ययन करने से दोनों विरोधाभासी प्रतीत होती है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वाद संख्या 20/2017 में वर्णित सभी पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 में वर्णित तथ्य राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा ~~1956~~ 136 के अधीन प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्री की अंकन किया गया है जो कि लिपिकीय भूल अथवा कोई भी त्रुटि ~~की~~ श्रेणी में नहीं आता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आपसी सहमति में खाता विभाजन होना स्वीकार किया गया है। उभयपक्षकारान की सहमति अथवा न्यायालय द्वारा त्रुटि होने पर प्रार्थीगण द्वारा CPC (सिविल प्रक्रिया संहिता 1908) के आदेश 47 में वर्णित प्रावधानों द्वारा [illegible] में की जा सकती थी। अतः उक्त निर्णय [illegible] दिनांक 20/8/2020 में न्यायालय हाजा द्वारा [illegible] उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि पुनर्विलोकन के [illegible] पर्याप्त आधार नहीं है कि जिससे कि ये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सके। अतः CPC 151 प्रार्थना पत्र भी आधारहीन होने से प्रारम्भ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.20 16:03:50 IST
Reason: SelfAttested

लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 136 उपरोक्त विवेचनानुसार साबित नहीं होने तथा प्रासंगिक क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/05/24

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.20 16:03:50 IST
Reason: SelfAttested